



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042022-234821
CG-DL-E-04042022-234821

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944

No. 94]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2022

सं. 01/2015-2020

विषय: भेषज और औषध खेप के निर्यात के साथ-साथ पैकेजिंग के स्तरों तथा आपूर्ति श्रृंखला में इनकी आवाजाही में माता-पिता-शिशु तुल्य संबंध बनाए रखने के लिए खोजबीन प्रणाली का कार्यान्वयन-कार्यान्वयन की तारीख बढ़ाने के संबंध में।

फा. सं. 01/91/180/648/एएम09/ईसी/ई-21052.—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा औषध संरूपण की निर्यात खेप के लिए खोजबीन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने संबंधी दिनांक 05.01.2016 की सार्वजनिक सूचना सं. 52/2015-20, दिनांक 09.05.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 05/2015-20, दिनांक 01.11.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 43/2015-2020, सार्वजनिक सूचना सं. 16/2015-20, दिनांक 04.07.2019, सार्वजनिक सूचना सं. 66/2015-2020, दिनांक 30.03.2020, सार्वजनिक सूचना सं. 16/2015-20 दिनांक 22.09.2020 और सार्वजनिक सूचना सं. 46/2015-20 दिनांक 30.03.2021 के साथ पठित

दिनांक 05.12.2017 की सार्वजनिक सूचना सं. 43/2015-20 द्वारा यथा-अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के पैरा 2.90क को संशोधित करते हैं।

2. प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 2.90क (vi) और (vii) में (दिनांक 30.03.2021 की सार्वजनिक सूचना संख्या 46/2015-2020 द्वारा यथासंशोधित), "दिनांक 01.04.2022" को दिनांक 31.03.2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

औषध संरूपणों के इसके पैकेजिंग स्तरों में माता-पिता तुल्य संबंध बनाए रखने और केन्द्रीय पोर्टल पर इसे अपलोड करने के संदर्भ में एसएसआई और गैर-एसएसआई दोनों द्वारा विनिर्मित औषधों के लिए निर्यात हेतु खोजबीन प्रणाली के कार्यान्वयन की तारीख 31.03.2023 तक बढ़ा दी गई है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th April, 2022

No. 01/2015-20

Subject: Implementation of the Track and Trace system for export of Pharmaceuticals and drug consignments along with maintaining the Parent-Child relationship in the levels of packaging and their movement in supply chain - Extension of date of implementation regarding.

F.No. 01/91/180/648/AM-09/EC/E-21052.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time-to-time, the Director General of Foreign Trade hereby amends Para 2.90A of Handbook of Procedure- 2015-20, as notified vide Public Notice No. 43/2015-20 dated 05.12.2017 read with Public Notice No. 52 / 2015-20 dated 05.01.2016, Public Notice No. 05/2015-20 dated 09.05.2018, Public Notice No. 43/2015- 2020 dated 01.11.2018, Public Notice No. 16/2015- 2020 dated 04.07.2019, Public Notice No. 66/2015-2020 dated 30.03.2020, Public Notice No. 16/2015-2020 dated 22.9.2020 and Public Notice No. 46/2015-20 dated 30.03.2021 on laying down the procedure for implementation of the Track and Trace system for export consignments of drug formulations.

2. In Para 2.90 A (vi) and (vii) of Handbook of Procedure - 2015-20 (as amended vide Public Notice No. 46/2015-20 dated 30.03.2021), " 01.04.2022" may be substituted by "31.3.2023".

3. Effect of this Public Notice:

The date for implementation of Track and Trace system for export of drug formulations with respect to maintaining the Parent-Child relationship in packaging levels and its uploading on Central Portal has been extended up to 31.3.2023 for both SSI and non SSI manufactured drugs.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.